

आहरण एवं वितरण अधिकारी/

3604001970301

संयुक्त निदेशक(पं०),

3604001980301

पंचायतीराज निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-39/2021/बी-2-289 /दस-2021-1/2020 दिनांक 21.12.2021 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये वर्ष 2021-22 में सामान्य समनुदेशन हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 6600.00 करोड़ में से माह माह दिसम्बर, 2021 के लिये रु. 550.00 करोड़ त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्नानुसार जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतवार अवमुक्त किया गया है:-

(धनराशि लाख में)

मद	शासनादेश दिनांक 21.12.2021 द्वारा अवमुक्त	शासनादेश दिनांक 16.12.2021 द्वारा अनुमन्य धनराशि			शेष धनराशि (2-5)	प्रिंट प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है।	पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवशेष धनराशि (6-7)	जिला पंचायतों हेतु परिक्रमी निधि की 01 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है।	पंचायतों को हस्तान्तरित करने योग्य कुल धनराशि	
		पंचायत प्रतिनिधियों व सदस्यों के बैठक भत्ता की एक माह की धनराशि	पंचायत कल्याण कोष की एक माह की धनराशि	योग (3+4)					निकायों की संख्या	धनराशि (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जिला पंचायत	8250.00	-	-	-	7379.919	11.070	7368.849	73.688	75	7295.161
क्षेत्र पंचायत	8250.00	-	-	-	7379.919	11.070	7368.849	-	826	7368.849
ग्राम पंचायत	38500.00	-	-	-	34439.623	51.659	34387.964	-	58194	34387.964
योग-	55000.00	4550.539	1250.00	5800.539	49199.461	73.799	49125.662	73.688	59095	49051.974

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जा रही है-

- 1-आवंटित की जा रही धनराशि निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० के निवर्तन पर इस शर्त पर रखी जा रही है कि धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।
- 2- पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- 3-कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।
- 4-योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का बैंक खाता तथा आई०एफ०एस०सी० कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

5-धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6-आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये धनराशि आवंटित की रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7-योजना प्रभारी आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय की अनुदान सं0-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा-

क्र.सं.	पंचायत	लेखाशीर्ष	धनराशि
1	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	8250.00
2	ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	8250.00
3	ग्राम पंचायत	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	38500.00
योग			55000.00

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0-110 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(अनुज कुमार झा)

निदेशक,

पंचायतीराज उ0प्र0।

bc

संख्या-1/शा0/49/1/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2-विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3-विशेष सचिव, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21.12.2021 के क्रम में।
- 4-निदेशक पंचायतीराज (लेखा) दसवों तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5-संयुक्त निदेशक, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
- 6-समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

7-समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र०।

8-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।

9-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।

11-वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1 दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र० प्रयागराज-211001

12-उपनिदेशक (पं०)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित है कि तत्काल पंचायतीराज संस्थाओं के खातों में धनराशि हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करें।

13-उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।

14-एस०पी०एम०यू०, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ०प्र०।

bc